

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 30.1.12

संख्या-15/वि0स0से0-19-14/2011 सा0प्र0 1499 बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) की धारा -19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित "बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010" में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनायी जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। - (i) यह नियमावली "बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली 2011" कही जा सकेगी।।
(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के विभागों तथा संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगा।
(iii) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. संशोधन - (i) बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के नियम 2 (iv) के तहत परिशिष्ट-1 में वर्णित संलग्न कार्यालयों की सूची के क्रमांक 62 पर "सैनिक कल्याण निदेशालय" जोड़ा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 15/वि0स0से0-19-14/2011 सा0प्र0..... पटना-15, दिनांक

प्रतिलिपि-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:- 15/वि0स0से0-19-14/2011 सा0प्र0 1499 पटना-15, दिनांक 30.1.12

प्रतिलिपि- सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय पटना / बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना / बिहार लोक सेवा आयोग पटना / मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव।